

महापालिका उप जिला कलेक्टर टोडाभाम

फर्द अहकाम


मु.नं. ११/१७ तारीख ५.७.१७

उजवान - हरिसिंह वनाम राधाकिशन वगै
धावराशोरपुर

वालाबावत इस्तकाररटक व स्यायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत चार ११.१११ RT-Act


वादी की ओर से राममोशरी गुप्ता हलकोट ने दावा बावत
इस्तकाररटक व स्यायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमा रुकी का
भण्डोफन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर शीपादीगण को
सम्भन से तणव किया जाने। फनावली दिनांक २६.७.१७ को
पेश हो।

3732-35
5-7-17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभाम (कौली)


26.7.17

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. १ से ७ की ओर से
श्री सुरेश चन्द्र शर्मा आदि से वकालतनामा एवं जवाब
पेश किया। जवाब की प्रति वादी वकील को रित्याई
प्रतिवादी नं. १ अणसुद सूनचना उपर धही है, इनके निकल
एक पक्षीप कार्रवाही की जाती है कायती तनगीयात दि
१७.९.१७ को पेश हो।


वकील आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभाम

28.9.17

जतरल पेशी से पेश हुआ। कुलाम उप। तारी अग्रमि
ले 12.10.17 को पेश हो।


वकील आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभाम



लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्षकारान उप
 प्रतिवादी वकील को प्रतिवादी वकील साह्य प्रतिवादी
 पेश करने के लिए 200-कॉस्ट इडाघगी की है
 एवं वास्ते प्रतिवादी साह्य पेश करने दिनांक
 27.2.24 को पेश हो

(5)

12/18 वादी वकील/वकील उपय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी.....पुनाव ड्रेनिंग में जयपुर पधारें हैं
 पत्रावली गतानुसार दिनांक.....19.2.24
 को पेश हो।

(Signature)

19/24 वादी वकील/वकील उपय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी.....करौली पुनाव की फिलिंग में पधारें हैं
 पत्रावली गतानुसार दिनांक.....7.6.24
 को पेश हो।

(Signature)

7/24 पत्रावली पेश हुई। वादी उप वादी वकील
 कोई उपस्थित नहीं हुआ। वाद 9 भाग
 दिवादी गई इसके उपरान्त भी कोई
 उपस्थित नहीं हुआ इसके बाद वादी का
 ठेक दाया वादी की मदम पैरपी में
 बरखिजा किया जा रहा है।

पत्रावली फैसल सुमा

ड्रेनिंग बरखल है कर्म कर दा खिल डारल

(Signature)